न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या – 131 / 2025 (प्रार्थना पत्र)
दायर दिनांक – 25/11/2025
निर्णय दिनांक – 25/11/2025

अनवान

1. मीनादेवी पत्नी गोपाललाल निवासी मालियों का वास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: : निर्णय : :

प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम मालियो का वास पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 166 में प्रार्थिया की सहखातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खातें में प्रार्थिया का नाम मीना देवी पत्नी गोपाललाल पिता गोपाललाल दर्ज है जिसके स्थान पर मीनादेवी पत्नी गोपाललाल शुद्धि कराए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम मालियों का वास पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 166 में मीना देवी पत्नी गोपाललाल पिता गोपाललाल दर्ज रिकॉर्ड है। पटवार हल्का मदारिया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार देवगढ़ द्वारा राजस्व ग्राम मालियों का वास पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 166 में मीना देवी पत्नी गोपाललाल पिता गोपाललाल के बजाय मीनादेवी पत्नी गोपाललाल दर्ज जाने की अनुशंषा की गई।

–::आदेश::–

अतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम मालियों का वास पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 166 में मीना देवी पत्नी गोपाललाल पिता गोपाललाल के बजाय मीनादेवी पत्नी गोपाललाल नाम दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदानुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तदनुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

(मोह[illegible] R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)